International Environmental
Law Research Centre

# Madhya Pradesh Municipal Corporation (Recycled and Reuse of Grey Water in Buildings) Model Byelaws 2010

This document is available at ielrc.org/content/e1023.pdf

**Note**: This document is put online by the International Environmental Law Research Centre (IELRC) for information purposes. This document is not an official version of the text and as such is only provided as a source of information for interested readers. IELRC makes no claim as to the accuracy of the text reproduced which should under no circumstances be deemed to constitute the official version of the document.

International Environmental Law Research Centre
info@ielrc.org – www.ielrc.org

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 मई 2010—ज्येष्ठ 5, शक 1932

### नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 मई 2010

क्र. एफ. 1-7-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 432-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, भवनों में धूसर जल के पुनर्चक्रण (रिसाईकिल) और पुनः उपयोग के संबंध में निम्नलिखित आदर्श उपविधियां बनाती है, अर्थात् :—

### आदर्श उपविधियां

1. **संक्षिप्त नाम, लागू होना तथा प्रारंभ.**—(1) इन उपविधियों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम (भवनों में धूसर जल का पुनर्चक्रण तथा पुनः उपयोग) आदर्श उपविधियां, 2010 है.

(2) ये उन नगरपालिक निगमों को लागू होंगी, जो अधिनियम की धारा 432-ए की उपधारा (2) के अधीन इन उपविधियों को अंगीकृत करते हैं या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 432-ए की उपधारा (3) के अधीन के किसी नगरपालिक निगम को लागू किए जाएं.

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होंगी.

2. **परिभाषाएं.**—इन उपविधियों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''पहुंच बिन्दु'' से अभिप्रेत है, वह स्थान जहां से निरीक्षण (जिसमें नमूना इकट्ठा करना और माप लेना सम्मिलित है), सफाई या अनुरक्षण के लिए किसी निजी मल प्रणाल तक पहुंचा जा सके, जो कि इस संबंध में नगरपालिक मानदण्डों की अपेक्षाओं को पूरा करते हों;

(ख) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956);

(ग) "अनुमोदित" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम के किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमोदित;

(घ) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम के नगरपालिक आयुक्त- द्वारा इन उपविधियों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ङ) "स्याह जल (ब्लेक वाटर)" से अभिप्रेत है, स्नानघर, मूत्रालयों, रसोईघर के हौदों और उच्च कार्बनिक तत्वों से युक्त डिशवाशर (बरतन धोने की मशीन) धुलाई के परिणामस्वरूप निकला हुआ अपशिष्ट जल;

(च) "लक्षण" से अभिप्रेत है, वाणिज्यिक अपशिष्ट और/या घरेलू अपशिष्ट जल का कोई भौतिक और/ या रासायनिक लक्षण;

(छ) "वाणिज्यिक परिसर" से अभिप्रेत है ऐसे कोई परिसर, जिस पर कोई कारबार किया जाता है, कोई दुकान चलाई जा रही है, कोई वर्कशाप स्थापित किया गया है, कोई व्यापार, कारबार किया जा रहा है या अन्य सदृश्य क्रियाकलाप संचालित किये जा रहे हैं या ऐसे क्रियाकलापों के लिए आरक्षित है;

(ज) "वाणिज्यिक अपशिष्ट" या "अपशिष्ट" से अभिप्रेत है ऐसा अपशिष्ट जो द्रव्य के निस्सारण के माध्यम से उसमें किसी पदार्थ की प्रभावहीनता या घोल सहित या उसके बिना किसी व्यापार या उसके सदृश्य किसी प्रचलन के दौरान व्यापारिक परिसरों से बहाया जा रहा है या बहाया जा सकता है;

(झ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम का आयुक्त;

(ञ) "निस्सारण" या "अपशिष्टों का निस्सारण" से अभिप्रेत है, परिसरों से अपशिष्टों का धूसर जल प्रणाली में या धूसर जल उपचार प्रणाली के माध्यम से अपशिष्टों का हटाया जाना;

(ट) "निस्सारण प्रबंध योजना" से अभिप्रेत है, पुनर्चक्रण (रिसाईक्लिंग) जल उपचार संयंत्र से निकले बाहिस्त्राव और नगरपालिक मल प्रणाली में उसके निस्सारण की मानिटरिंग, प्रोग्रामिंग तथा नियंत्रण करने की योजना;

(ठ) "असंयोजन" से अभिप्रेत है, अपशिष्ट जल प्रणाली से निजी मल प्रणाल का भौतिक रूप से काटा जाना और उसे सील करना;

(ड) "घरेलू अपशिष्ट जल" से अभिप्रेत है, वह अपशिष्ट जल जो ऐसे परिसरों से निस्सारित होता है जिसका उपयोग पूर्णत: आवासीय क्रियाकलापों के लिए किया जाता है या अन्य परिसरों से समान लक्षणों वाला अपशिष्ट जल;

(ढ) "धूसर जल" (ग्रेवाटर) से अभिप्रेत है, रसोई हौदी को छोड़कर, टबों, फव्वारे, शावरों तथा धुलाई से निकला हुआ जल;

(ण) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है, नगरपालिक आयुक्त का कोई व्यक्ति जिसे इन उपविधियों के प्रयोजन के लिए लिखित में नियुक्त किया गया हो;

(त) "आई. एस. ओ. 5667" से अभिप्रेत है, आधुनिक संस्करण जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ. 5667 : 1994 के सभी संशोधनों के साथ पूर्ण हो;

(थ) "आई.एस.ओ. टी. आर. 9824" से अभिप्रेत है, ऐसा आधुनिक संस्करण जो अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ. टी.आर. 9824 के सभी संशोधनों से पूर्ण हो, खुले चैनलों में द्रव प्रवाह का माप भाग 1; 1990 संवृत्त जल प्रणाली (कन्ड्यूट्स मैथड्स) में स्वतंत्र पृष्ठ प्रवाह का माप भाग 2 : 1990 संवृत्त जल प्रणाली में स्वतंत्र पृष्ठ प्रवाह का माप;

(द) "प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है, ऐसा अभिकरण, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अनुमोदन के अधीन नमूनों के परीक्षण के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ध) "अनुज्ञप्ति" से अभिप्रेत है ऐसी अनुज्ञप्ति, जिसे इस उपविधि के प्रयोजन हेतु नगरपालिक आयुक्त द्वारा लिखित में अपशिष्ट के निस्सारण के लिए जारी किया गया हो या वार्षिक रूप से नवीकृत किया गया हो;

(न) "मात्रा सीमा (मास लिमिट)" से अभिप्रेत है किसी भी लक्षण वाली कुल मात्रा, जिसे किसी निस्सारण के एकल बिन्दु से या सामूहिक रूप से निस्सारण के विभिन्न बिन्दुओं से चौबीस घंटे की कालावधि के लिए अपशिष्ट जल प्रणाली में निस्सारण करने के लिए अनुज्ञात किया जाए;

(प) "अधिकतम सांद्रता" से अभिप्रेत है, किसी भी लक्षण वाले अपशिष्ट जल में अत्यधिक सांद्रता जो इससे अधिक न हो;

(फ) "सूचना" से अभिप्रेत है नगरपालिक आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 'सम्पत्ति' के 'अधिभोगी' को उसके परिसरों के भीतर पुनर्चक्रण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जारी की गई कोई लिखित संसूचना;

(ब) "अधिवासी" में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है, जो तत्समय भवन के किसी भाग जिसके बाबत किराए का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने के लिए दायी है अथवा ऐसे भवन का अधिभोग रखने के कारण कोई प्रतिकर या प्रीमियम का भुगतान कर रहा है या भुगतान करने का दायी है और उसमें भाड़ामुक्त किराएदार भी आता है किन्तु उसमें लाज में ठहरने वाला सम्मिलित नहीं है तथा शब्द "अधिवास" तथा "अधिवासी" का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(भ) "संवेष्ठन संयन्त्र" से अभिप्रेत है ऐसी अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली, जो उपभोगकर्ता को धूसर जल को उपचारित करने का पूर्व अभियंत्रित और पूर्व निर्मित तरीका प्रस्तुत करती है;

(म) "व्यक्ति" में सम्मिलित है कोई निगम तथा व्यक्तियों का निकाय भी चाहे वह निगमित हो या नहीं अथवा कोई भागीदारी फर्म;

(य) "निस्सारण बिन्दु" ऐसा भौतिक बिन्दु है जहां से अपशिष्ट का निस्सारण अपशिष्ट जल प्रणाली में प्रवेश करता है;

(य क) "परिसर" से अभिप्रेत है, या तो —

(एक) कोई ऐसी संपत्ति, जो किसी पृथक नाम पत्रक के अधीन दर्शित की गई है या जिसके लिए कोई पृथक नाम पत्रक जारी किया जा सकता है तथा जिसके संबंध में कोई भवन योजना जारी की गई है या की जा सकती है; या

(दो) कोई भवन, जो रेखित पट्टे द्वारा (क्रास लीज), ईकाई हकदारी (टाईटिल) या कंपनी पट्टे के रूप में किसी वैयक्तिक ईकाई के आधिपत्य में है और जिसके लिए हक प्रमाण-पत्र उपलब्ध है; या

(तीन) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए सार्वजनिक स्वामित्व में की भूमि, धारित है; या

(चार) भवन के भीतर की कोई वैयक्तिक ईकाई, जिसका निगम करों का पृथकतः निर्धारण किया गया है;

(य ख) "पूर्वोपचार" से अभिप्रेत है, अपशिष्ट जल की कोई ऐसी प्रक्रिया जो जल को अपशिष्ट जल प्रणाली में निस्सारण से पूर्व अपशिष्ट जल की विशिष्टता को अननुज्ञात सीमा तक कम करके तैयार की जाए;

(य ग) "प्राईवेट मल नाली (सीवर)" से अभिप्रेत है मल नाली का वह भाग (सेक्शन) जो परिसरों तथा मल प्रणाल के बीच हो;

(य घ) "सार्वजनिक रूप से अधिसूचित" से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम क्षेत्र में प्रसारित किसी समाचार-पत्र में, कम से कम किसी एक अवसर पर प्रकाशित की जाए अथवा किसी आपात स्थिति में तत्समय उपलब्ध किसी व्यावहारिक साधन द्वारा प्रकाशित;

(य ड़) "अभिग्राही जल" से अभिप्रेत है कोई प्राकृतिक जल जो उपचारित अपशिष्ट जल प्राप्त होगा;

(य च) "मल प्रणाली (सीवेज सिस्टम)" से अभिप्रेत है किसी नगरीय स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली समस्त प्रकार की मल नाली, अनुलग्नक, पंपिंग स्टेशन, भण्डारण टंकियां, अपशिष्ट जल उपचार सुविधा संयंत्र तथा अन्य संबंधित संरचनाएं, जिनका उपयोग अपशिष्ट जल के प्रतिग्रहण, उपचार तथा अपशिष्ट जल के व्ययन हेतु किया गया हो तथा यह "अपशिष्ट जल प्रणाली" के नाम से भी जानी जाएगी;

(य छ) "जल तथा अपशिष्ट जल के परीक्षण के लिए मानक रीति" से अभिप्रेत है, ए. पी. एच. ए. 2005 या उसके हाल के संस्करण द्वारा प्रकाशित जल एवं अपशिष्ट जल के परीक्षण के लिए मानक रीति में प्रकाशित रीति;

(य ज) "संक्षोभ जल (स्टार्म वाटर)" से अभिप्रेत है जो अवक्षेपण (प्रेसिपिटेशन) के परिणामस्वरूप प्रवाहित (रन आफ) समस्त सतही जल;

(य झ) "प्रकोष्ठ" [जिसे खण्ड (ब्लाक), कक्ष (चेम्बर), निवासी इकाई, फ्लैट, सूइट, ईकाई या किसी अन्य नाम से जाना जाता है] से अभिप्रेत है किसी संपत्ति का कोई पृथक और स्वत: पूर्ण भाग, जिसमें निवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा रहे भवन या भूखण्ड में एक या अधिक मंजिलों पर स्थित एक या अधिक कक्ष या संलग्न स्थान सम्मिलित है;

(य ञ) "अपशिष्ट जल" से अभिप्रेत है ऐसा जल जिसके घोल (साल्युशन) में कोई पदार्थ (मैटर) हो या घरेलू अपशिष्ट जल या अपशिष्ट द्रव से युक्त हो और उसमें इस उपविधि के प्रयोजन के लिए गंदा पानी (सीवेज) सम्मिलित है;

(य ट) "अपशिष्ट न्यूनीकरण" से अभिप्रेत है समुचित प्रचालन तथा निर्बंधन से संबंधित परिसरों में क्रियान्वयन करने हेतु अपशिष्ट को न्यूनता की ओर ले जाना या जिससे अपशिष्ट की विषाक्तता की मात्रा को कम करने या दूर करने का उद्देश्य पूरा होता हो;

(य ठ) "जल गुणवत्ता का नमूना (सेम्पलिंग)" से अभिप्रेत है आई. एस. 5667

भाग 1 : नमूने कार्यक्रम के रूपांकन पर मार्गदर्शन, 1980;

भाग 2 : नमूना तकनीकों पर मार्गदर्शन, 1991;

भाग 3 : नमूने के परिरक्षण तथा रखरखाव पर मार्गदर्शन, 1994;

भाग 10 : धूसर जल (ग्रेवाटर) के नमूने (सैंपलिंग) पर मार्गदर्शन, 1992 के मानदण्डों के अनुसार नमूनों के विनिर्देश;

(य ड) "परिक्षेत्र" से अभिप्रेत है, किसी नगर का जल निकासी जल ग्रहण क्षेत्र जो पृथक अपशिष्ट जल/मल (सीवेज) उपचार संयन्त्र द्वारा किया जाता है.

3. **उपविधियों का लागू होना.**—ये उपविधियां ऐसे समस्त आवासीय, व्यावसायिक और अन्य परिसरों पर लागू होंगी जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में आते हैं :

(एक) 100 या अधिक मकानों वाले आवासीय प्रकोष्ठ; या

(दो) तीन सितारा या उच्चतर श्रेणी के होटल; या

(तीन) 2000 वर्गमीटर या अधिक निर्मित क्षेत्र वाली समस्त व्यावसायिक स्थापनाएं, छात्रावास.

4. **अपशिष्टों का निस्सारण.**—(1) परिसर का स्वामी या अधिभोगी, केवल इन उपविधियों के उपबंधों के अनुसार वैध अनुमति के साथ अपशिष्ट जल/मल प्रवाह को नगर निगम की मलवाहक नाली से जोड़ सकेगा.

(2) परिसर का स्वामी या अधिभोगी, मलप्रवाह प्रणाली या मल के प्रवाह को या उसकी उपचार प्रक्रिया को क्षति नहीं पहुंचाएगा.

(3) परिसर का स्वामी या अधिभोगी, इन उपविधियों के अनुपालन में दुर्गन्ध गैसों की उपताप (न्यूसेंस) कारित नहीं करेगा अथवा लोक परिसंकट या ऐसी कोई बात अन्यथा कारित नहीं करेगा.

(4) पुनर्चक्रण संयंत्र से उत्पन्न अपशिष्ट यदि वह मान्य गुणवत्ता का है, तो नगर निगम की मल प्रणाली से जोड़ा जा सकता है.

5. **धूसर जल को पुनर्चक्रित (रिसाइकल) करने की अनुमति के लिए प्रक्रिया.**—(1) नवीन/पुनर्विकासाधीन संपत्तियों के मामले में अधिभोगी/विकासकर्ता/भवन निर्माता, सीधे या अपने प्राधिकृत परामर्शी के माध्यम से, भवन अनुज्ञा और धूसर जल-मल को नगर निगम मल प्रवाह प्रणाली से जोड़ने की अनुमति के लिए आवेदन और मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के साथ ही प्रस्तावित "निस्सारण प्रबंध योजना" (डिस्चार्ज मेनेजमेंट प्लान) के ब्यौरों के साथ प्ररूप "क" में एक आवेदन, नगर निगम आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

(2) विद्यमान भवन स्वामी, धूसर जल उपचार और निपटान प्रणाली (ग्रे वाटर ट्रीटमेंट एण्ड डिस्पोजल सिस्टम) को विकसित और संस्थापित करने और धूसर जल-मल को नगर निगम मल प्रवाह प्रणाली से जोड़ने की अनुमति के लिए स्वेच्छया प्ररूप 'क' में आवेदन कर सकता है. नगर निगम, उपविधियों में अनुबद्ध शर्तों के पूरा किए जाने पर, ऐसे मामलों में अनुमति प्रदान करेगा.

(3) **निर्माण अग्रसर करने की अनुमति प्रदान करना.**—आयुक्त, नगरपालिक निगम या ऐसी अनुमति जारी करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की, इस संबंध में लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, कोई भी व्यक्ति, धूसर जल उपचार प्रणाली (ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम) के कार्य का विकास अथवा उसका निर्माण नहीं करेगा.

6. **धूसर जल पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) प्रणाली के विशेष विवरण का विनिर्देश.**—(1) **धूसर जल का पृथक्करण.**—परिसर में स्थित प्रसाधनों (टायलेट्स) से निकले अपशिष्ट, पृथक डाऊन टेक निस्सारण प्रणाली (सेपरेट डाउनटेक डिस्चार्ज सिस्टम) के द्वारा धूसर जल से पृथक किए जाएंगे. धूसर जल एक पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) संयंत्र की व्यवस्था के माध्यम से पुनर्चक्रित (रिसाइकल्ड) किया जाएगा और बैंगनी रंग के डाऊन टेक पाइपों द्वारा, उसे सुस्पष्टतः पृथक टंकी में भण्डारित करने के पश्चात् गैर पेय प्रयोजनों हेतु पुनः उपयोग किया जाएगा. जल गुणवत्ता, गैर पेय जल के मानकों के अनुरूप होगी. पुनर्चक्रित (रिसाइकल्ड) जल प्रत्येक छह मास में एक बार परीक्षित किया जाएगा और उसके परिणाम, निगम आयुक्त अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को मांगे जाने पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

(2) रिसाइलिंग प्रणाली की किसी आलम्ब संक्रिया के लिए धूसर जल प्रणाली को नगरपालिक जल संयोजन से अबाध व्यवस्था (फ्री फाल अरेंजमेंट) के माध्यम से ताजा जल संयोजन उपचारित धूसर जल भण्डारण टेंक में किया जाएगा, किन्तु उसे विशेषतः स्थानीय स्त्रोत, जैसे नलकूप (बोरवेल) से किया चाहिए.

(3) **सर्वथा गैर-पेय तथा गैर संसर्गीय उपयोग हेतु जल का पुनर्उपयोग** : जल का पुनर्उपयोग, सर्वथा गैर-पेय, उपयोग के लिए बैंगनी रंग की सुस्पष्टतः पृथक पुनर्उपयोग प्रणाली के द्वारा होगा. गैर संसर्गीय उपयोग, प्रसाधन प्रक्षालन (टायलेट फ्लशिंग) वृक्षों/झाड़ियों की टपकन सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन) दूर्वाक्षेत्रों (लॉन्स) की उप सतह की सिंचाई तक सीमित होंगे.

(4) **पेय तथा गैर पेय-जल का प्रति संयोजन (क्रास कनेक्शन) न होना** : किसी भी बिन्दु प्र पेय तथा गैर पेय जल की फिटिंग का प्रति संयोजन (क्रास कनेक्शन) नहीं होगा. पुनर्चक्रित (रिसाइकिल्ड) जल प्रणालियां, पेयजल प्रणाली की तुलना में निम्नतर परिचालन दाब पर अनुरक्षित की जाएंगी. प्रति संदूषण (क्रास कन्टामिनेशन) की रोकथाम के लिए मिलान संयोजनों पर सावधानी बरती जाना चाहिए.

7. **धूसर जल पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) उपचार संयंत्र के लिए अंतिम अनुमति.**—निगम आयुक्त, उसे उपलब्ध कराए गए अथवा उसकी प्रेरणा पर या उसकी ओर से किए गए अपशिष्ट के परीक्षण के परिणामों के आधार पर यह अवधारित कर सकेगा कि कोई जल संयंत्र अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और अधिभोगी को संयंत्र चालू रखने की लिखित में अनुमति जारी करेगा. अधिभोगी संयंत्र को यथा विनिर्दिष्ट चलाएगा.

8. **अपशिष्ट परीक्षण और उनके परिणाम.**—(1) अनुज्ञप्ति की अपेक्षा रखने वाला परिसर का अधिभोगी, निगम आयुक्त अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी को, अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, वर्ष में एक बार परिसर से निस्सरित अपशिष्टों के परीक्षण परिणाम उपलब्ध कराएगा.

(2) इन उपविधियों में विनिर्दिष्ट उपबंधों को न्यूनीकृत किए बिना, अनुज्ञप्ति की अपेक्षा रखने वाला परिसर का अधिभोगी अथवा धूसर जल उपचार संवेष्ठन संयंत्र (ग्रे वाटर ट्रीटमेंट पैकेज प्लांट) का अधिभोगी, निगम आयुक्त को, संयंत्र अथवा परिसर से निस्सरित अपशिष्टों के परीक्षण परिणाम, किसी भी ऐसे समय पर उपलब्ध कराएगा, जब उससे ऐसा करने की निगम आयुक्त द्वारा लिखित में अपेक्षा की जाए.

(3) **अपशिष्ट निस्सारण अनुमति :** धूसर जल उपचार संवेष्ठन टाइप संयंत्र (ग्रे वाटर ट्रीटमेंट पैकेज टाइप प्लांट) के अपशिष्ट निस्सारण अनुज्ञात किए जाएंगे, बशर्ते कि संवेष्ठन संयंत्र ने जल का पुनर्चक्रण (रिसाइकिल) कर लिया है और जल प्रसुविधा का पुन: उपयोग कर लिया है और उसकी विशिष्टियां मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों में दी गई सीमाओं से अधिक नहीं है.

(4) अपशिष्टों का परीक्षण, ए. पी. एच. ए. द्वारा प्रकाशित अपशिष्ट जल के परीक्षण के लिए मानक पद्धतियों के अनुसार होगा और परिणामों की प्रस्तुति, निगम आयुक्त अथवा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा विहित नियम तथा शर्तों के अनुसार की जाएगी.

9. **निस्सारण के परीक्षण के लिए सूचना-पत्र.**—निगम आयुक्त, इन उपविधियों में यथा वर्णित अपशिष्टों के नमूनों के परीक्षण का आदेश कर सकेगा, यदि वह ऐसा महसूस करता है कि परिस्थितियों की ऐसी मांग है और वह लिखित सूचना द्वारा परिसर अधिभोगी को ऐसे परीक्षणों के निष्पादन के खर्चों का भुगतान करने के लिए निदेश कर सकेगा.

10. **परिवर्तनों के बारे में आज्ञापक सूचना.**—परिसर का अधिभोगी, निगम आयुक्त अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी को, उसके संयंत्र अथवा परिसर से निस्सरित अपशिष्ट की मात्रा, प्रकृति अथवा गुणवत्ता में किसी परिवर्तन, उनके निस्सारण की रीति अथवा जल की बाह्य आपूर्ति की अतिरिक्त आवश्यकता के बारे में सूचित करेगा, यदि इस परिवर्तन से अपशिष्टों के निस्सारण हेतु इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञप्ति में फेरफार या उसका उल्लंघन होना संभाव्य हो.

11. **अनुज्ञप्ति/सूचना-पत्र की शर्तों को परिवर्तित करने वाला प्राधिकारी.**—निगम आयुक्त या उसका प्राधिकृत अधिकारी, जिसने इन उपविधियों द्वारा उसमें निहित प्राधिकार से अनुज्ञप्ति दी है अथवा लिखित में कोई सूचना पत्र दिया है, यदि वह संयंत्र, परिसर या परीक्षण रिपोर्टों के निरीक्षण से संतुष्ट होता है, अनुज्ञप्ति अथवा सूचना-पत्र की शर्तों को प्रतिसंहृत, परिवर्तित या निर्बन्धित कर सकेगा.

12. **निरीक्षण.**—धूसर जल पुनर्चक्रण (रिसायकलिंग) प्रणाली को संस्थापित करने संबंधी सामान्यत: सभी निर्माण अथवा कार्य, जिनके लिए अनुमति अपेक्षित है, प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के अधीन होंगे. उपविधियों के उपबंधों के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु निगम आयुक्त या इस हेतु प्राधिकृत कोई नगर निगम कर्मचारी, यथास्थिति, अधिभोगी अथवा स्वामी के परिसर में प्रवेश और उसका निरीक्षण करेगा और ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रवेश व निरीक्षण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगा और ऐसी समस्त सूचनाएं भी मुहैया कराएगा जैसी कि उपरोक्त प्रयोजन के लिए उसके द्वारा अपेक्षित की जाएं. जब किसी धूसर जल पुनर्चक्रण (रिसायकल) प्रणाली के निरीक्षण से यह प्रकट होता है कि सुरक्षा सावधानियों में कोई कमी विद्यमान है तो प्राधिकारी को अधिकार होगा कि स्वामी को निदेश दे कि जब तक कि सुरक्षा सावधानियों के उल्लंघन को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतिकारक पूर्वोपाय नहीं कर लिए जाते हैं ऐसी प्रणाली को तुरंत बंद कर दे.

13. **अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाना.**—निगम आयुक्त अपने अधिकारियों/निरीक्षकों को प्राधिकृत करेगा और इन उपविधियों के अधीन विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा.

14. **धूसर जल हेतु पृथक नलसाजी ( प्लबिंग ) और नए भवनों के लिए पुनर्चक्रण ( रिसायकलिंग ) का उपबंध.**—प्रत्येक विकासकर्ता/भवन निर्माता भवन का विक्रय करने के पूर्व, नवनिर्मित भवन को धूसर जल के लिए पृथक प्रवाही (डाऊन टेक) नलसाजी (प्लबिंग) की व्यवस्थाओं, रिसायकलिंग जल संयंत्र भण्डारण और पुनर्उपयोग फिटिंग्स का उपबंध करें.

15. **धूसर जल के लिए पृथक नलसाजी और ऐसे विद्यमान भवनों हेतु रिसायकलिंग का उपबंध, जो इसके लिए चयन करें.**—प्रत्येक विद्यमान भवन/आवासीय संरचना स्वेच्छया, एक धूसर जल रिसायकलिंग जल संयंत्र और धूसर जल के लिए सुसंगत पर्याप्त पृथक नलसाजी और एन्ड यूज की क्रियाविधि के साथ पुनर्उपयोग फिटिंग्स स्थापित कर सकेगा.

16. **पुनर्चक्रित ( रिसायकल्ड ) जल मापन.**—पुनर्चक्रित (रिसायकल्ड) जल उसे पृथक भण्डारण टंकी में भण्डारित किये जाने के पूर्व प्रवाह (फ्लो) मीटर/वाटर मीटर द्वारा मापा जाएगा. फ्लो मीटर/वाटर मीटर, नगर निगम द्वारा सीलबंद किया जायेगा. फ्लो मीटर/वाटर मीटर, अधिभोगी द्वारा प्रतिमाह पढ़ा जाएगा और वह मांगे जाने पर परिणाम उपलब्ध कराएगा.

17. **शास्ति.**—जो कोई भी इन उपविधियों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने से जो 5000/- रुपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा और भंग के निरंतर रहने की दशा में ऐसे और जुर्माने से, जो उस प्रथम दिन के पश्चात् जिसके दौरान भंग साबित होता है, एक सौ रुपये प्रतिदिन तक का हो सकेगा.

18. **अपील.**—यदि आवेदक आयुक्त द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है तो अपील, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 403 (4) के अनुसार, अपीली समिति के समक्ष होगी.

## प्रारूप-क

**[ देखिए उप विधि क्रमांक 5 ( 1 ) और ( 2 ) ]**

**मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम ( भवनों में धूसर जल का पुनर्चक्रण और पुनर्उपयोग ) उपविधियां, 2010 के अधीन अनुज्ञा हेतु आवेदन पत्र का प्ररूप**

1. आवेदक का नाम :
2. आवेदक का पता :
3. दूरभाष क्रमांक :
4. स्थल की अवस्थिति :
5. प्रवर्ग : (एक) 100 या अधिक प्रकोष्ठों वाला आवासीय काम्पलेक्स
   (दो) तीन सितारा या उच्चतर श्रेणी के होटल; या
   (तीन) 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक निर्मित क्षेत्र वाली व्यावसायिक स्थापनाएं और होटल,
6. निस्सारण प्रबंध योजना : (किसी अतिरिक्त जानकारी हेतु पृथक शीट संलग्न करें)
7. नगर निगम का भवन निर्माण अनुज्ञा आदेश :
8. परिसर की जल आपूर्ति का प्रमुख स्त्रोत :
9. अपशिष्ट जल/मल प्रवाह के नगर निगम मलनाली में संयोजन की अवस्थिति :
10. धूसर जल पुनर्चक्रण (रिसाइकलिंग) और प्रवाही (डाऊन टेक) नलसाजी (प्लंबिंग) के लिए पृथक नलसाजी (प्लंबिंग) की व्यवस्थाओं के विवरण :

11. **पुनर्चक्रित ( रिसायकल्ड ) जल के फ्लो मीटर के विवरण.**—मैंने पुनर्चक्रित (रिसायकल्ड) जल के पुनर्उपयोग के लिए प्रवृत्त उपविधियों की अनुमोदित नीति, दिशा-निर्देशों और उपबंध को सावधानीपूर्वक पढ़ तथा समझ लिया है. ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, यदि दी गई कोई जानकारी असत्य या झूठी पाई जाती है तो दी गई अनुमति निरस्त किये जाने योग्य होगी.

No. F. 1-7-2010-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 432 A of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the State Government, hereby makes the following model bye-laws with regard to the recycle and reuse of grey water in buildings, namely :—

MODEL BYE-LAWS

1. **Short title, application and commencement.**—(1) These bye-laws may be called the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Recycled and Reuse of Grey Water in Buildings) Model Bye-laws, 2010.

(2) They shall apply to such Municipal Corporations who adopt these model bye-laws under sub-section (2) of 432 A of the Act or applied by the State Government to any Municipal Corporation under sub-section (3) of Section 432 A of the Act.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these bye-laws, unless the context otherwise requires,—

(a) "Access point" means a place where access may be made to a private sewer for inspection (including sampling or measurement), cleaning or maintenance that meets the requirements of the municipal norms in that respect;

(b) "Act" means the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(c) "approved" means approved in writing by an authorized officer of the Municipal Corporation;

(d) "authorized officer" means any person appointed by the Municipal Commissioner of Municipal Corporation for the purposes of acting as an authorized officer under these bye-laws;

(e) "black water" means waste water discharged from toilets, urinals, kitchen sinks and dishwasher having high organic contents;

(f) "characteristic" means any of the physical and/or chemical characteristics of commercial waste and/or domestic wastewater;

(g) "commercial premises" means any premises on which any business is carried-on, shop is being run, workshop is established, trade, business is being done or any other similar activities are being conducted or is reserved for such activities;

(h) "commercial waste" or "wastes" means te waste removed from premises by way of discharge of any liquid, with or without matter in suspension or solution therein that is or may be discharged from trade premises in the course of any trade or operation of similar nature;

(i) "Commissioner" means Commissioner of the Municipal Corporation;

(j) "discharge" or "discharge of waste" means the removal of wastes from the premises into the grey water system or by means of the grey water treatment system;

(k) "Discharge Management Plan" means a plan for the monitoring, programming and controlling of the effluent from the recycling water treatment plant and its discharge into the municipal sewage system;

(l) "disconnection" means the physical cutting and sealing of the private sewer from the wastewater system;

(m) "domestic wastewater" means wastewater that is discharged from premises that are used solely for residential activities or wastewater of the same characteristic from other premises;

(n) "grey water" means water from sinks (exluding kitchen sinks), tubs, showers and washing;

(o) "inspector" means any person of the Municipal Commissioner who is appointed in writing for the purpose of these bye-laws;

(p) "ISO 5667" means the latest edition, complete with any amendments of International standard ISO 5667-1994;

(q) "ISO TR 9824" means the latest edition, complete with any amendments, of International Standard ISO TR 9824 : Measurment of liquid flow in open channels: Part 1: 1990 Measurement of free surface flow in closed conduits methods, Part2: 1990 Measurement of free surface flow in closed conduits equipment;

(r) "laboratory" means the agency permitted to test the samples having approval under the Environment Protection Act, 1986 (No. 29 of 1986);

(s) "license" means the license, issued and renewed annually for the discharge of wastes gives in writing by the Municipal Commissioner for the purposes of these bye-laws;

(t) "mass limit" means the total mass of any characteristic that is allowed to be discharged to the wastewater system over any twenty four hour period from an single point of discharge or collectively from several points of discharge;

(u) "maximum concentration" means the peak concentration, in the waste water of any characterstic thay may not be exceeded;

(v) "notice" means a written communication issued by the Municipal Commissioner of his authorized officer to the occupier of property to provide the recycling facility within the premises;

(w) "occupier" includes any person for the time being, paying or liable to pay rent for any portion of the building in respect of which the ward is used or compensation or premium on account of the occupation of such building and also a rent free tenant but does not include a lodgere and the words "occupy" and "occupation" shall be construed accordingly;

(x) "package plant" means waste water treatment systems which offer the users a pre engineered and pre fabricated method of treating grey water;

(y) "person" includes a corporation and also a body of persons whether corporate or incorporate or partnership firm;

(z) "point of discharge" is the physical point where waste discharge enters the wastewater system;

(za) "premises" means either :

(i) a property which is led under a separate card of title or for which a separate title card may be issued and in respect to which a building plans have been or may be issued, or

(ii) a building which is in possession as an individual unit by a cross-lease, unit title or company lease and for which a certificate of title is available; or

(iii) land held in public ownership for a particular purpose; or

(iv) individual unit within buildings, separately assessed to Municipal taxes;

(zb) "pretreatment" means any processing of wastewater designed to reduce non permissible characteristics in the wastewater, before discharge to the wastewater system;

(zc) "private sewer" means that section of a sewer between the premises and the sewerage system;

(zd) "publiciy notified" means published on at least one occasion in a newspaper circulating in the Municipal Corporation territory or under emergency conditions by the most practical means available at that time;

(ze) "receiving waters" means any natural waters which will receive treated wastewater;

(zf) "sewerage system" means all types of sewers, appurtenances, pumping stations, storage tanks, wastewater treatment facility plants and other related structures owned by the urban local body and used for the reception, treatment and disposal of wastewater and also termed as 'wastewater system';

(zg) "standard methods for the examination of water and wastewater" means the methods published in standards methods for the examination of water and waste water published by APHA 2005 or recent edition;

(zh) "storm water" means all surface water run-offs resulting from precipitation;

(zi) "tenement (which may be called block, chamber, dwelling unit, flat, suite, unit or by any other name)" means a separate and self-contained part of any property, including one or more rooms or enclosed spaces, located on one or more floors in a building or in a plot used for residential, commercial or institutional purpose;

(zj) "wastewater" means any water with matter in solution or suspension, domestic wastewater or liquid waste and includes sewage for the purpose of these bye-laws;

(zk) "waste minimization" means the implementation on premises of operations and restrictions, appropriate to the goal of reducing or eliminating the quantity and toxicity of wastes;

(zl) "water quality sampling" means sampling specifications as per IS 5667 Part 1: 1980 Guidance on the design of sampling programmes; Part 2: 1991 Guidance on sampling techniques; Part 3: 1994 Guidance on the preservation and handling of samples; Part 10: 1992 Guidance on sampling of grey waters;

(zm) "zones" means the drainage catchments areas of a city that are served by separate wastewater/ sewage treatment plants.

3. **Application of the bye-laws.**—These bye-laws are applicable to all housing, commercial and any premises which fall in any one of the follwong categories:

(i) Housing complex having 100 tenements or more; or

(ii) Three star or higher category hotesls; or

(iii) All commercial establishments, hostels having built up area of 2000 square metre or more;

4. **Discharge of Wastes.**—(1) The owner or occupier of premises shall only with a valid permission in accordance with the provisions of these bye-laws connect the waste water/sewerage to the municipal sewer.

(2) The owner or occupier of premises shall not cause damage to the sewerage system or to the flow of the sewage or to the treatment process thereof.

(3) The owner or the occupier of he premises shall not constitute a nuisance of foul gases or cause a public hazard or otherwise in compliance of these bye-laws.

(4) The waste generated by the recycling plant can be connected to Municipal Corporation sewer network if it is of the accepted quality.

5. **Procedure for permission to recycle grey water.**—(1) In case of new/under redevelopment properties, the occupier/developer/builder will submit an application in Form A directly or through his authorized consultant to the Municipal Commissioner with details of proposed 'Discharge Management Plan' along with the application for building permission and permission to connect the Grey Water Sewage to Municipal sewage system along with the approval from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

(2) Existing building owner can apply voluntarily in Form A for the permission to develop and install grey water treatment and disposal system and connect the grey water sewage to Municipal sewage system. Municipal Coropration on satisfaction of the conditions stipulated in the bye-laws shall grant permission in such cases.

(3) **Granting permission to proceed construction.**—No person shall carry out any development or construction of the work of gray water treatment system without obtaining a prior permission in writing in this regard from the Commissioner, Municipal Corporation or a person authorized by him for issuing such permission.

6. **Spcifications of grey water recycling system.**—(1) **Separation of Grey water.**—The wastes from toilets in the premises will be separated from grey water by means of separate down-take discharge system. The grey water shall be recycled by providing a recycling plant and shall be reused for non-potable purposes after storing the same in the distinctly separate tank by means of purple colored down-take pipes. The water quality shall conform to standards of non potable water. The recycled water shall be tested once in six months and the results shall be made available to Municipal Commissioner or his authorized officer whenever demanded.

(2) For any standby operation of recycling system, the fresh water connection to the grey water system will be done at the collection tank of the treated grey water, through a free fall arrangement from Municipal water connection, but preferably it should be from local source like bore well.

(3) **Reuse of water strictly for non potable and non contact use.**—The reuse of water will be strictly for non potable use by means of providing a distinctly separate reuse system coloured in purple. The non-contact uses shall be restricted to toilet flushing, drip irrigation of trees/shrubs, sub-surface irrigation of lawns.

(4) **No cross-connection of potable and non potable water.**—There shall be no cross-connection of the fittings of the potable and non potable water at any point. The recycled water systems shall be maintained at a lower operating pressure than that of the potable water system. Precautions should be taken at the make-up connection to prevent cross contamination.

7. **Final Permission for the Grey Water recycling Treatment Plant.**—Municipal Commissioner may determine on the basis of test results of the wastes that were provided to him or that were performed at his instance or behalf, that a recycling water plant is fulfilling the requirements and will issue permission in writing to put the plant in operation to the occupier. The occupier shall operate the plant as specified.

8. **Waste tests and their results.**—(1) An occupier of permises requiring a license shall provide to the Municipal Commissioner or an authorized officer once a year for the purpose of receiving a license, test results of the wastes discharged from the permises.

(2) Without derogating the provisions specified in these bye-laws, the occupier of permises requiring a license or the occupier of a grey water treatment package plant shall provide to Municipal Commissioner test results of wastes discharged from the plant or premises at any time he is required in writing to do so by the Municipal Commissioner.

(3) **Waste Discharge Permission.**—Waste discharges of the grey water treatment package type plant will be allowed provided the package plant has recycling and reuse of water facility and the characteristics are not exceeding limits given in the Madhya Pradesh Pollution Control Board norms.

(4) The testing of wastes as per Standard methods for examination of waste water published by APHA and the submission of the results shall be done in accordance with the terms and conditions prescribed by the Municipal Commissioner or an authorized officer in this regard.

9. **Notice for testing discharge.**—(1) The Municipal Commissioner may order the testing of samples of wastes as described in these bye-laws if he feels that the circumstances so demand and he may be written notice, direct the permises occupier to pay the expenses of performing such tests.

10. **Mandatory notice regarding changes.**—An occupier of permises shall inform the Municipal Commissioner or his authorized officer of any change in the quantity, nature or quality of the wastes discharged from his plant or permises, the manner of their discharge or extra requirement of external supply of water immediatey if the change is likely to cause discharge of wastes in variation or violation of license issued under these bye-laws.

11. **Authority to change license/notice conditions.**—The Municipal Commissioner or his authorized officer having given a license or a notice in writing by the authority vested in him by these bye-laws, may revoke, modify or stipulate conditions to the license or notice if satisfied on inspection of the plant, premises or test reports.

12. **Inspection.**—Generally all constructions or work in relation to installation of grey water recycling system for which permission is required shall be subject to inspection by the authority. For the purpose of enforcing the provisions of the bye-laws, the Commissioner or any Municipal Corporation employee authorized in this behalf shall enter and inspect the permises of the occupier or the owner, as the case may be and such person shall give all facilities necessary for such entry and inspection and supply all such information as may be required by him for the purpose aforesaid. When inspection of any grey water recycle system reveals that any lack of safety precautions exist, the Authority shall have right to direct the owner to stop such system immediately until the necessary remedial measures to remove the violation of safety precautions are taken.

13. **Authorization of officers.**—The Municipal Commissioner shall authorize his officers/inspectors and shall delegate the necessary powers for carrying various duties under these bye-laws.

14. **Separate plumbing for grey water and provision of recycling for new buildings.**—Every developer/ builder shall provide the newly constructed building with the provision of separate down take plumbing for grey water, recycling water plant, storage and reuse fittings before selling the building.

15. **Separate plumbing for grey water and provision of recycling for existing buildings who opt for this.**— Every existing building/residential structure may voluntarily establish a grey water recycing water plant and relevant adequate separate plumbing for grey water and reuse fittings with mechanism of end use.

16. **Recycled water measurement.**—The recycled water will be measured by means of flow meter/water meter before storing the same in a separate storage tank. The flow meter/water meter will be sealed by Municipal Corporation. The flow meter/water meter shall be read monthly by the occupier and shall make available the results whenever demanded.

17. **Penalty.**—Whosoever contravenes any provision of these bye-laws shall be punishable with fine which may extend to Rs. 5000/- and where the breach is continuing breach, with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day after the first during which the breach is proved.

18. **Appeal.**—Appeal shall lie before appellate committtee as per Section 403 (4) of the Madhya Pradesh

Municipal Corporation Act, 1956 if the applicant is aggrieved by any order passed by the Commissioner..

FORM-A

[See Bye-law 5 (1) and (2)]

**Form of Application for Permission under the Madhya Pradesh Municipal Corporation (Recycle and Reuse of Grey Water in Buildings) Bye-laws, 2010.**

1. Name of Applicant

2. Address of Applicant

3. Telephone No.

4. Location of site

5. Category : (i) Housing Complex of 100 or more tenements;

(ii) Three star or higher category hotels; or

(iii) Commercial establishments and hostels having built up area of 2000 square metre or more;

6. Discharge Management Plan. (attach separate sheet for any additional information)

7. Building Construction Permission Order of Municipal Corporation.

8. Main Source of Water Supply of Premises.

9. Location of connection of waste water/sewerage to the Municipal sewar.

10. Details of provisions of separate plumbing for grey water recycling and down take plumbing.

11. **Details of Flow Meter of recycled water.**—I have carefully gone through the approved policy, guidelines and provision of bye-laws in force for reuse of recycled water. The information given above is true to the best of my knowledge and belief, if any information given found to be incorrect or false permission granted shall be liable to be cancelld.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. पी. एस. सलूजा**, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.